FORM NO. III
फर्दअहकाम
(नियम– 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी..........

प्रार्थीगण बनाम	विप्रार्थीगण
1. जोगाराम पुत्र मोदाराम 2. कालूराम पुत्र मोदाराम 3. सुंगीदेवी पत्नी मोदाराम जाति रबारी निवासी डाबड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0विभाग खण्ड गुड़ामालानी 2. सहायक अभियन्ता सा0नि0विभाग खण्ड गुड़ामालानी 3. मैं0 जे.के. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, सांचौर प्रोपराईटर जयकिशन विश्नोई निवासी सांचौर 4. तहसीलदार गुड़ामालानी

किस्म मुकदमा.....धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. मु0नं0...181/23.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
04.09.2023	प्रार्थीगण जोगाराम वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री डालूराम चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. गुड़ामालानी वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि ग्राम डाबड पटवार क्षेत्र डाबड तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 1311 रकबा 8.3284 हैक्टेयर, की आई हुई है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि के पश्चिमी सेढे पर डाबड से पूनियों की ढाणी जाने वाला कटान मार्ग स्थित है, वर्तमान में कटान मार्ग परसड़क बनया जाना प्रस्तावित है तथा मौके पर पेड़–पौधों की कटाई व बाडे हटाने का कार्यविप्रार्थीसंख्या 1 व 2 के अधीन विप्रार्थी संख्या 3 ठेकेदार द्वाराकिया जा रहा है। विप्रार्थीगण कटान मार्ग को छोड़कर प्रार्थीगण की खेत में से जबरन कटान मार्क निकालने पर तुले हुए है। यदि विप्रार्थीगण कटान मार्ग को छोड़कर प्रार्थीगण की भूमि के अन्दर से सड़क बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरतनीय क्षति होगी। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा व संरक्षण हेतु विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में पेश किया है। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं, चूंकि वकील प्रार्थीगण की बहस अनुसार विप्रार्थीगण कटान मार्ग छोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्दर से जबरन सड़क बनाने पर आमादा है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है, एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ग्राम डाबड पटवार क्षेत्र डाबड तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 1311 रकबा 8.3284 हैक्टेयर भूमि के मौके की यथास्थिति [illegible] लेकिन कटान मार्ग पर सड़क निकालने पर [illegible] वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड [illegible] आज ही प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन [illegible] दिनांक 09.10.2023 को पेश हो। (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	: 1. तहसीलदार गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण / विप्रार्थीगण (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.11 11:54:11 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता... जो इस हुक्म... में जारी...
27/1/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण स्वयं अनुपस्थित। प्रार्थीगण को मय अधिवक्ता कोर्ट समक्ष में तीन बार तीन-तीन आवाजे दिलाई गई बावजूद आवाजे दिलाने के प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से उक्त दत्तक प्रकरण प्रार्थीगण की अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.11 11:54:11 IST
Reason: SelfAttested